

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 14-05-2025

क्रमांक I/261370/2025/सी.सी./2025/38 : राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2025-26 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं तथा NCTE पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये जाते हैं।

संलग्न:- प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत

(बीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 14-05-2025

पृ. क्र. I/261370/2025/सी.सी./2025/38

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश।
 2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
 4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
 6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर। रीवा/उज्जैन / छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
 7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 9. प्रवेश एजेंसी की ओर कार्यवाही हेतु।
 10. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, एन.सी.टी.ई पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
 11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Digitally signed by
Beeran Singh Bhalavi
Date: 14-05-2025
15:00:15



उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन प्रवेश

सत्र 2025-26

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत पुस्तिका सत्र 2025-26



सिर्फ कुछ क्लिक में टॉप UG / PG / NCTE प्रोग्राम्स में जुड़ें

- अपना फोन उठाइए
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए
- भुगतान कीजिए



Scan for App

<https://epravesh.highereducation.mp.gov.in>



Scan for Web

सहायता केन्द्र नंबर Helpline Number : **80000 63632**

टोल फ्री नंबर Toll-Free Number : **1800 8908 399**

हेल्पडेस्क Helpdesk : helpdesk.epravesh@mp.gov.in

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन प्रवेश

सत्र 2025-26

मध्यप्रदेश के शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक
प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष / सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका सत्र 2025-26

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल 462004

E-mail:-mphe.pravesh@mp.gov.in एवं तकनीकी समस्या हेतु

सहायता केन्द्र नंबर Helpline Number : - 80000 63632

टोल फ्री नंबर | Toll-Free Number: -1800 8908 399

हेल्पडेस्क - helpdesk.epravesh@mp.gov.in

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त
उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.
सत्र 2025-26

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	उप विषय	पृ.क्र.
1.	प्रयुक्ति		4
2.	पोर्टल की जानकारी		4
3.	पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर महाविद्यालयों का नाम जोड़ने की कार्यवाही		4
4.	आयु संबंधी प्रावधान		5
5.	स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता:-		5-12
6.	प्रवेश प्रक्रिया		12
6.1	ऑनलाइन पंजीयन		12
6.2	पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश		14
6.3	महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया		14
6.4	पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया		14-15
6.5	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया		15
6.6	प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण		17-20
6.7	महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया		20
7.	ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया		20-21
8.	प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया एवं शुल्क वापसी प्रक्रिया		21
9.	शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश		21-22
10.	पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश		22

क्र.	विषय	उप विषय	पृ.क्र.
11.	म.प्र. शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं		22-25
12.	बन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु)		26
13.	संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया		26
14.	स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान		26-27
15.	प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता		27
16.	प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)		27-30
17.	स्नातक कक्षाओं में ए.टी. के. टी/पूरक से संबंधित प्रवेश नियम		30
18.	स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी. के.टी से संबंधित प्रवेश नियम		30-31
19.	प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण		31
20.	समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम		31-32
21.	सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश की पात्रता		32-33
22.	विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता		33-34
23.	बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम		34
24.	आरक्षण		34-40
25.	अधिभार		40-44
26.	प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान		44-47
	विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप		48-56
	सत्यापन हेतु सहायता केन्द्रों की जानकारी		57

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश / नियम / विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई./NCTE वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।
- 1.1 समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश उपरांत गरिमामयी प्रवेश उत्सव आयोजित किये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।
2. पोर्टल की जानकारी :-
- 2.1 पंजीयन हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी विभागीय पोर्टल epravesesh.highereducation.mp.gov.in / ई-प्रवेश मोबाइल एप एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
3. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर महाविद्यालयों का नाम जोड़ने की कार्यवाही -

 - I प्रत्येक महाविद्यालय को ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी/अद्यतन करनी होगी।
 - II प्रोफाइल बनाने का कार्य प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व किया जाएगा।
 - III प्रोफाइल अद्यतन करते समय शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र / निरन्तरता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा
 - IV विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा
 - V विधि पाठ्यक्रम हेतु BCI की NCTE पाठ्यक्रम हेतु NCTE की मान्यता (recognition) एवं निर्धारित सीट संख्या का पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा
 - VI NCTE पाठ्यक्रमों एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रवेशित वर्ष का शुल्क, विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का सत्यापन अपलोड करना अनिवार्य होगा
 - VII महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रास चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।
 - VIII महाविद्यालय को प्रोफाइल अद्यतन करते समय संकायवार एवं विषयवार सीटों का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।
 - IX अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं अशासकीय महाविद्यालय की प्रोफाइल का सत्यापन उच्च शिक्षा संचालनालय की सम्बद्ध शाखा द्वारा किया जायेगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त जानकारी मय प्रमाणों के सम्बद्ध न होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालयों की प्रोफाइल को प्रत्यावर्तित (Revert) किया जाएगा। प्रत्यावर्तित की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होना होगा। महाविद्यालय

- द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
- X उच्च शिक्षा संचालनालय की सम्बद्धता शाखा के सत्यापन उपरांत पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय का सत्यापन क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त जानकारी मय प्रमाणों के सम्बद्ध न होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालयों की प्रोफाइल को प्रत्यावर्तित (Revert) किया जाएगा। प्रत्यावर्तित की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होना होगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में पुनः सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय की होगी।
- XI विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन करने के पश्चात आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर NCTE से सम्बन्धित महाविद्यालयों को ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। प्रत्यावर्तित की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होना होगा।
- XII माननीय न्यायालय से प्रवेश के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले निर्णयों के लिए भी संबंधित आवेदक महाविद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल दर्ज करना अनिवार्य होगा। तदोपरांत शेष कार्यवाही नियमानुसार आयुक्त उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर से ऑनलाइन पूर्ण की जाएगी।

4. आयु संबंधी प्रावधान :- विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

5. स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता:-

5.1 स्नातक स्तर हेतु :- 10+2 परीक्षा एवं समकक्ष उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी:

स.क्र.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय / गृह विज्ञान संकाय
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय / गृह विज्ञान संकाय
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय
4	कृषि	कला संकाय/बी.एस.सी. (जीव. विज्ञान समूह) (जीव. विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी आदि विषय)
5	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृह विज्ञान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु (बिन्दु क्र. 4.7)का अवलोकन करें

नोट :- BCA /BBA के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के नियमों के आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

5.1.1 पात्रता संबंधी स्पष्टीकरण:-

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

स्पष्टीकरण- मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी.बोर्ड से मुक्त बोर्ड /एम.पी. बोर्ड /पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य बोर्ड से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रवेश पंजीयन से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिसे ऑनलाईन पंजीयन के समय विद्यार्थी को अपलोड करना होगा।

5.1.2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण आवेदक -

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कंप्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र को अंतिम माना जायेगा।

5.1.3 आई.टी.आई उत्तीर्ण आवेदक 12वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

5.1.4 मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.1.5 यू.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5.2 **स्नातकोत्तर स्तर (दो वर्षीय /4 सेमेस्टर) हेतु -** स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स्नातकोत्तर दो वर्षीय / 4 सेमेस्टर		
स.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम./बी.कॉम (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी कॉम में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के

		लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3	एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी में गृहविज्ञान विषय के साथ स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
5	एम.एस.डब्ल्यू.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय), पात्रता हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत/समकक्ष ग्रेड आवश्यक अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।

स्नातकोत्तर एक वर्षीय / 2 सेमेस्टर

1	एम.कॉम. (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.कॉम. ऑनर्स अथवा बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च।
2	एम.एस.सी. (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.एस.सी. ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च।
3	एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.एस.सी. गृहविज्ञान ऑनर्स अथवा बी.एस.सी. गृहविज्ञान ऑनर्स विथ रिसर्च।

4	एम.ए. (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.ए. ओनर्स अथवा बी.ए. ओनर्स विथ रिसर्च।
---	-------------------------------------	---

5.2.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण:- मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.2.2 पी.जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5.3. एल.एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक प्रतिशत -

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45%
अन्य पिछड़ा वर्ग	42%
अनुसूचित जाति/जनजाति	40%

5.3.1 एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक प्रतिशत : हायर सेकण्डरी एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे-

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45%
अन्य पिछड़ा वर्ग	42%
अनुसूचित जाति/जनजाति	40%

5.3.2 पत्राचार / दूरस्थ पाठ्यक्रम से विधि में प्रवेश :- यदि आवेदक ने पत्राचार / दूरस्थ पाठ्यक्रम से 12वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण कर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आवेदन किया हो तो वह एल.एल.बी. त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु पात्र होगा।

स्पष्टीकरण: आवेदक जिसने 10+2 अथवा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर मुक्त विश्वविद्यालय (ओपन विश्वविद्यालय) से बिना आधारभूत मूल शिक्षा (बेसिक क्वालिफिकेशन) के प्राप्त किया हो तो वह विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।

5.3.3 एल.एल.एम. में प्रवेश-

(अ) एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा (एल.एल.बी. त्रिवर्षीय / पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत होंगे।

(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

विशेष टीप: न्यायालयीन निर्णय अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

5.4 एन.सी.टी.ई.पाठ्यक्रमों में प्रवेश

5.4.1 अर्हताएं

(क) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु -

स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में) 50 प्रतिशत अंकों के साथ, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता) में 55 प्रतिशत अंकों के साथ या अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी। उन्हीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जाएगा, जिनकी पाठ्यक्रम अवधि क्रमशः न्यूनतम तीन वर्ष एवं दो वर्ष की होगी।

(ख) एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी०एड०/बी०ए०बी०एड०/बी०एससी०बी०एड०/उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

(ग) बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु -

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय/अंतर क्षेत्रीय / जिला/विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय/वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो। अथवा 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय / अंतर-विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय/अंतर-क्षेत्रीय / जिला/विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबंधित संघों / ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय / अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त सेवाकालीन आवेदकों के लिए अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक/कोच)। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक में अर्जित बोनस अंकों के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(घ) एम.पी.एड पाठ्यक्रम हेतु -

(i) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)।

(ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया एम.पी.एड पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश, अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक, एवं अर्जित बोनस अंकों के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा चयनित वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होंगे।

(ङ) एम.पी.एड / बी.पी.एड पाठ्यक्रम में मेरिट हेतु बोनस अंक का विभाजन

स.क्र.	अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर बोनस अंक		
1.	क	60 प्रतिशत एवं उससे अधिक	60
	ख	50 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम	50
	ग	45 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 50 प्रतिशत से कम	40
	घ	40 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 45 प्रतिशत से कम	30
2.	स्पोर्ट्स प्रोफिसियेन्सी के लिए बोनस अंक		
	क.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	40
	ख	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सहभागिता	35
	ग	सीनियर/जूनियर नेशनल/ अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	30
	घ	सीनियर/जूनियर नेशनल/ अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में सहभागिता	25
	ङ	ज़ोनल अंतर विश्वविद्यालय (East/West/North/South Zone) स्तर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	20
	च.	ज़ोनल अंतर विश्वविद्यालय (East/West/North/South Zone) स्तर प्रतियोगिता में सहभागिता	15
	छ	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	20
	ज	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता	15
	झ	अंतरमहाविद्यालयीन/संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	10
	ञ	अंतरमहाविद्यालयीन/संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता	8

ट	जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	05
ठ	जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता	02

नोट : पिछले 3 वर्षों में प्राप्त प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

नोट : बोनस अंको का अधिभार केवल एक बार ही दिया जावेगा

- स्पोर्ट्स प्रोफिसिएंसी के लिए बोनस अंक केवल एक ही प्रमाण पत्र के आधार पर दिए जाएंगे, जो विद्यार्थी की सर्वोच्च उपलब्धि को दर्शाता हो। यदि किसी विद्यार्थी के पास एक से अधिक प्रमाण पत्र हैं, तो केवल उच्चतम स्तर के प्रमाण पत्र को ही अंक प्रदान करने के लिए मान्य माना जाएगा।
- ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार/ म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों पर ही बोनस अंक प्राप्त किए जा सकेंगे।

(च) बी.एड. एम.एड. (एकीकृत त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु-

- (i) प्रवेश हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्था से विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उनके समकक्ष ग्रेड की स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यह बांझनीय है कि उम्मीदवारों की शिक्षा में स्पष्ट दिखने वाली रुचि और अनुभव हो।
- (ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।
- (iii) उन्हीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जावेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष की होगी।

(छ) इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) पाठ्यक्रम हेतु

- (क) सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू (+2) परीक्षा या इसके समकक्ष (5+3+3+4 पैटर्न के अंतर्गत) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- (ख) सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू (+2) परीक्षा या इसके समकक्ष (5+3+3+4 पैटर्न के अंतर्गत) अंकों में छूट और सीटों में आरक्षण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र शासित प्रदेश के समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार होगा।
- (ग) ITEP- सम्बन्धित में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित विषय और योग्यता परीक्षा के माध्यम से होगा।
- (घ) NEP 2020 की अनुशंसाओं के तहत ITEP-में प्रवेश के लिए एकल राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा का आयोजन NTA द्वारा किया जाएगा।

नोट:- बी.ए. बी.एड./ बी.एस.सी.बी.एड. आदि पाठ्यक्रमों में एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रवेश दिया जावेगा।

(झ) बी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु

मान्यता प्राप्त संस्थान से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अथवा उसके समकक्ष स्वीकार की जाने वाली कोई अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे

नोट: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

(ब) बी.एड (अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु-

- (i) ऐसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अध्यापक जो आवेदन की तारीख को कम से कम दो वर्षों तक पूर्णकालिक अध्यापकों के रूप में रहे हैं और जो कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान सेवा में बने रहेंगे। प्रार्थी को उस संस्थान के प्रमुख / अध्यक्ष से, जहां वह सेवारत है इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) ऐसे प्रार्थी जिन्होंने विज्ञान/मानविकी/सामाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा/अथवा स्नातकोत्तर डिग्री अथवा विज्ञान और गणित की पृष्ठभूमि / विशेषज्ञता सहित कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, प्रवेश के लिये पात्र है।
- (iii) आवेदक को सेवारत संस्थान के प्रमुख / अध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. प्रवेश प्रक्रिया:-

- प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2025-26 हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। सत्र 2025-26 में समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश दो चरण ऑनलाइन माध्यम से एवं तत्पश्चात सीएलसी चरण आयोजित किया जायेगा।
- ऑनलाइन प्रवेश में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा। सीएलसी चरण में रिक्त सीटों पर महाविद्यालय में उपस्थित होकर सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

6.1 ऑनलाइन पंजीयन ;

- 6.1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन मोबाइल एप / ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे।
- 6.1.2 पंजीयन के पश्चात आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिये कि वे अपने प्रमाण पत्रों में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, माता का नाम, प्राप्तांक, कुल अंक, श्रेणी, संवर्ग, धर्म, जन्मतिथि एवं स्वयं का मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार, मूल निवास का पता, हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र एवं फोटोग्राफ का मिलान आवेदन की प्रविष्टियों से अवश्य कर लें जिससे सत्यापन के समय कोई परेशानी न हो। आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन मूल दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी के अनुसार ही भरा गया है। ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट (submit) करने के उपरांत दर्ज

प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन/प्रवेश निरस्त होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। टीप- आवेदक की अंकसूची तथा आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि में यदि भिन्नता है, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी 10 वीं/11 वीं की अंकसूची में अंकित जन्म तिथि को मान्य कर सत्यापन किया जाए।

- 6.1.2 ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रवेश हेतु आवेदक को कोर्स एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें आवेदक प्रवेश चाहता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के साथ विषय चयन एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा।
- 6.1.3 स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन के समय ही ऑनलाइन नामांकन (अन्य विश्वविद्यालयों से स्थान्तरित विद्यार्थियों के लिए) फॉर्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिवर्सिटी आई.डी की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक ही यूनिवर्सिटी आई.डी के रूप में प्रयुक्त होगा। पंजीयन क्रमांक के पश्चात् नियमित विद्यार्थी के लिए "आर" और स्वाध्यायी विद्यार्थी के लिए "पी" शब्द का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक के साथ विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम जैसे "बीयू" अंकित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर विद्यार्थी को आबंटित नामांकन क्रमांक एवं यूनिवर्सिटी आई.डी यथावत संबंधित विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित हो जाएगा और उसके साथ ही संबंधित विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम अंकित कर दिया जाएगा जैसे "बीयू.डी.ए.वि. वि." अंकित किया जाएगा।
- 6.1.4 पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु अर्हता स्नातक है, उनमें अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष / स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। प्रथम चरण तथा सी.एल.सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष / स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अथवा वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ / पंचम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्यता निर्धारित की जाएगी।
- 6.1.5 NCTE पाठ्यक्रमों हेतु राज्य शासन के आदेश क्रमांक 983/सीसी/14/38 दिनांक 06.06.14 एवं क्रमांक 123/406/आउशि/सम्ब./15 दिनांक 04.06.2015 के तहत स्नातक के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किन्तु स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत एवं वि.वि. द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे तथापि, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हो। स्नातकोत्तर परीक्षा में अनुत्तीर्ण/ए.टी.के.टी. होने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में वे केवल एक ही उपाधि पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकते हैं।
- 6.1.6 प्रवेश प्रक्रिया के मध्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं/अभिभावक को उपस्थित होकर हेल्पसेन्टर के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाम अंकित कराना एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

6.1.7 पंजीयन शुल्क का भुगतान समय-सारणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा:-

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क की राशि 100 रुपये का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा। छात्राओं से प्रथम चरण में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रथम चरण के उपरांत पंजीयन शुल्क एवं विलंब शुल्क सहित राशि रुपये 150/- का भुगतान समस्त छात्र/छात्राओं को करना होगा। तत्पश्चात् ही ऑनलाइन ई-सत्यापन होगा।

6.1.8 वांछित पाठ्यक्रम के स्थान वृटिवश अन्य पाठ्यक्रम में पंजीयन होने संबंधी प्रावधान :-

यदि आवेदक द्वारा जैसे स्नातकोत्तर के स्थान पर वृटिवश स्नातक में पंजीयन हो जाता है तो आवेदक को ऐसा पंजीयन निकटतम हेल्प सेन्टर से निरस्त करवा कर पुनः नवीन पंजीयन कराना होगा।

6.2 पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश:-

कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें सी.एल.सी चरण में अपने ऑनलाइन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की च्वाईस फिलिंग एवं दस्तावेज / प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

6.2.1 प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा।

6.3 महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया

सत्र 2025-26 की ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 10 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (च्वाईस फिलिंग) कर सकेंगे।

6.4 पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया:-

ई सत्यापित आवेदकों को कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा केवल अधिभार के इच्छुक आवेदकों को संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिन आवेदकों का ई-सत्यापन नहीं हुआ है ऐसे आवेदकों को पंजीयन के समय ई-सत्यापन हेतु निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय)-

1. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र
2. न्यूनतम अहर्कारी परीक्षा की अंक सूची।
3. स्नातक स्तर में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक की इन्टरनेट से डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित अंक सूची मान्य होगी।
4. स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक द्वितीय वर्ष/पंचम वर्ष, सेमेस्टर की अंकसूची के साथ तृतीय वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई

अंकसूची को स्वसत्यापित करने के बाद एक साथ दोनो अंकसूची स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

5. स्नातकोत्तर (एक वर्षीय) स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक ऑनर्स/ ऑनर्स with रिसर्च का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक तृतीय वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर, की अंकसूची के साथ तृतीय वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई अंकसूची को स्वसत्यापित करने के बाद एक साथ स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
6. जाति प्रमाण पत्र संबंधी:- जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो।
 - (अ) आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/आउशि/शा-5 अ/2019, भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है।
 - (ब) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जायेंगे।
7. संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी:- संवर्ग प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 25 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें। (सैनिक/प्रतिरक्षा कर्मचारी/ विधवा / परित्यक्तता वर्ग आदि), यदि लागू हो तो)
8. मूल निवासी संबंधी:- मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूलनिवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
9. आय प्रमाण-पत्र:- नवीनतम आय प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) ई.डब्ल्यू.एस.(EWS) के आवेदकों के लिये स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप 6 अनुसार (क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02.11.2017)
10. चिकित्सा प्रमाण-पत्र (बी.पी.एड/एम.पी.एड. हेतु), जो भी लागू हो।
11. (i) अधिभार प्रमाण-पत्र (बी.पी.एड/एम.पी.एड. हेतु), जो भी लागू हो।
बिंदु क्रमांक 5.4.1 का (ड) की तालिका के अनुसार
(ii) अधिभार प्रमाण-पत्र NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़कर, जो भी लागू हो।-
- (अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2022 -23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

- (ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2022-23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में दिया जायेगा। आवेदक सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड करें।
- (द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र.25 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
12. सेवारत संस्थान के प्रमुख / अध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (बी.एड अंशकालीन हेतु)।

6.5 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया :

- (अ) पंजीकृत आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म का अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जावेगा। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं पठनीय हों।

6.5.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देशः -

- (अ) ऑनलाइन सत्यापन हेतु समस्त शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर आवंटन अनुसार विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी "सत्यापन पूर्ण" के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा।
- (ब) सत्यापन अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन संबंधी कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा से एक दिवस पूर्व तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
- (स) आवेदक का फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
- (द) आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फॉर्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

6.5.2 असत्यापित / त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण जानकारी युक्त आवेदन संबंधी निर्देश -

- (अ) यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन फॉर्म में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पष्ट/अपर्याप्त / अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फॉर्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।
- (ब) संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फॉर्म की सूची में रखेंगे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संधारण किया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर प्रेषित करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फॉर्म को "असत्यापित या त्रुटिपूर्ण" वर्ग में क्लिक करेंगे। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर विभागीय पोर्टल द्वारा संदेश के माध्यम से भी दी जाएगी। आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश (एस.एम.एस एवं विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कैडिडेट स्टेटस से) चेक करते रहें।

- (स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक को मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार कर पुनः सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा के स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। शासकीय महाविद्यालय (Help Center) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुनः विकल्प चयन करवाकर, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् ऑनलाइन सत्यापन पर्ची (ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्लिप) आवेदक को दी जावेगी।
- (द) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- (य) सत्यापन के समय अपूर्ण जानकारी युक्त/अनावश्यक दोहराव / एक जैसे पंजीयन आवेदन आने पर सत्यापनकर्ता अधिकारी उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए गार्वेज टैब पर प्रेषित करेंगे। जिससे महाविद्यालय के पोर्टल पर अनावश्यक लंबित आवेदन न हो।
- (र) सत्यापन के पश्चात् परंतु ऑनलाइन पंजीयन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि / विसंगति संज्ञान में आती है तब मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों के माध्यम से त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। त्रुटिसुधार उपरांत आवेदक पुनः विकल्प चयन कर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।
- (ल) निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।
- (व) किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदकों / हेल्प सेंटर द्वारा की गई त्रुटि का सुधार सत्यापन उपरांत नहीं किया जा सकेगा, ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश मान्य नहीं होगा।

6.6 प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण:-

- (अ) गुणानुक्रम का निर्धारण -
प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये पृथक्-पृथक् गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी। शीट आवंटन मेजर विषय के आधार पर किया जायेगा।
- (ब) स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) में प्राथमिकता का निर्धारण -
किसी एक विषय में स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) में स्थान रिक्त रहने की दशा में ही पात्रतानुसार सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी. चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे।
- (स) बीपीएड एवं एमपीएड पाठ्यक्रमों में अर्हता कारी परीक्षा के प्राप्तांकों तथा स्पोर्ट्स प्रोफिशिएन्सी के लिए बोनस अंक प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार कुल समेकित प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
सत्यापन के पश्चात केवल NCTE पाठ्यक्रमों की गुणानुक्रम के आधार पर मेरिट सूची जारी की जायेगी।

6.6.1 प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया

- (अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को प्रथम चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक द्वारा संबंधित महाविद्यालय के ऑनलाइन शुल्क भुगतान पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सभी महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी पर देख सकेंगे। शुल्क भुगतान उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर दर्शित होगी।
- (ब) प्रथम चरण में सभी ई-सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय / विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन, ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जायेंगे।
- (स) इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर पर संदेश के द्वारा दी जावेगी साथ ही, आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी लॉगिन पासवर्ड से चेक कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
- (द) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने/प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु लिंक इनीशिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी
- (य) NCTE पाठ्यक्रमों में आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को समस्त मूल दस्तावेजों एवं मूल टी सी/ माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु आवंटित हेल्पसेंटर पर उपस्थित होंगे। सत्यापन उपरांत आवेदन पत्र एवं आवंटन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मूल टीसी / माइग्रेशन हेल्प सेंटर में जमा की जाएगी। सत्यापन उपरांत आवेदक प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे।
- (र) अहर्कारी परीक्षा के परिणाम घोषित न होने पर आवेदक मूल टीसी/ माइग्रेशन के स्थान पर शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (ल) ऑनलाइन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित का भुगतान विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।
- (व) प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में टी+1 दिवस में ऑनलाइन ही ट्रांसफर होगा।

6.6.2 महाविद्यालय/संकाय/ मेजर विषय में आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाइन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश:-

आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक प्रथम वर्ष के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाइन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक उपलब्ध तीन विषयों में से मेजर 1 के साथ मेजर 2 /माइनर तथा वैकल्पिक विषय का चयन कर सकेंगे। महाविद्यालय में अन्य संकाय संचालित होने की स्थिति में आवेदक को वैकल्पिक विषय के स्थान पर किसी दूसरे संकाय से सामान्य वैकल्पिक विषय के चयन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही आवेदक को संबंधित महाविद्यालय में संचालित

व्यावसायिक विषय में से एक व्यावसायिक विषय एवं प्रोजेक्ट / इंटर्नशिप / अप्रेंटिसशिप / कम्युनिटी इंगेजमेंट में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य होगा।

6.6.3 ऑनलाइन (प्रवेश शुल्क एवं नामांकन शुल्क भुगतान प्रक्रिया)

- (अ) आवेदक द्वारा पंजीयन करते समय छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु पूर्व (माध्यमिक स्तर पर) में प्रदान की गई स्कॉलरशिप आई.डी. दर्ज करना होगा।
- (ब) ऐसी बालिकाएं जिन्होंने स्कूल स्तर पर लाइली लक्ष्मी योजना का लाभ लिया है। प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व लाइली लक्ष्मी योजना का चयन कर लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
- (स) सत्र 2025-26 में जनभागीदारी द्वारा संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदक यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ऐसी स्थिति में यदि आवेदक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर योजना चयन करने की स्थिति में आवेदक को प्रवेश शुल्क जमा नहीं करना होगा।
- (द) आवेदक को ऑनलाइन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क सामान्य पाठ्यक्रम हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित राशि तथा संबंधित विश्वविद्यालय का नामांकन शुल्क 5000 तक एक मुश्त तथा 5000 से ऊपर 3 किशतों में जमा करना होगा शुल्क जमा करने के पूर्व ही आवेदक को पात्रतानुसार लाइली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना / मुख्यमंत्रीजनकल्याण योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का चयन भी करना होगा। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु समस्त शुल्क तीन किशतों जमा किया जायेगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं कोविड-19 बाल कल्याण योजना तथा लाइली लक्ष्मी योजना 2.0 के आवेदकों के लिए प्रक्रिया कण्डिका 11.1, 11.2, 11.3 एवं 11.4 के अनुसार होगी। (NCTE में लागू नहीं)
- (य) चयनित विषय के आधार पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यू.पी.आई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा।
- (र) प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक को प्रवेश प्राप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाईल/ई-मेल पर प्राप्त होगी।

6.6.4 शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाइन एडमिशन स्लिप के प्रिंट आउट लेने संबंधी :-

आवेदक द्वारा ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन स्लिप का बाद में भी पंजीयन कमांक एवं आई.डी. पासवर्ड डालकर पोर्टल से प्रिन्ट लिया जा सकता है। आवेदक को प्रवेश रसीद का प्रिंट लेने के तत्काल बाद महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की आवश्यकता है।

6.6.5 प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश :-

आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन / प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रवेश

शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।

महत्वपूर्ण - विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय की प्रोफाईल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के बैंक खाते क्रमांक को प्रोफाईल अद्यतन करते समय सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में विसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता है।

6.6.6 शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ऑनलाइन प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रवेश रसीद (Admission Slip), मूल टी.सी. एवं अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति महाविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता होगी।

6.7 महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया:-

महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

7. ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :-

- 7.1 सी.एल.सी चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार / पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
- 7.2 पंजीकृत आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी होगी। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।
- 7.3 चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाइन सी.एल.सी चरण में महाविद्यालयों में शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा।
- 7.4 सी.एल.सी. चरण में समय-सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 26.11 के प्रावधानों के निहित समय-सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी।
- 7.5 ऑनलाइन सी.एल.सी. प्रवेश प्रक्रिया में समय सारणी अनुसार आवेदक द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर पूर्व वरीयताओं में संशोधन / परिवर्तन कर सकेंगे।
- 7.6 यदि आवेदक द्वारा व्यक्त महाविद्यालयों के विकल्पों में से कोई आवंटन उसे प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे आवेदकों को रिक्त सीटों पर आगामी चरणों में पुनः महाविद्यालयों के चयन की सुविधा रहेगी, किन्तु आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पर पूर्व चरण में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा।

आवेदक महाविद्यालयों का चयन अपनी रुचि एवं प्राथमिकतानुसार, बिना किसी दबाव एवं स्व-विवेक से, बहुत सोच-समझ कर करें, जिससे मेरिट के आधार पर उनका चयन प्रथम चरण में ही सुनिश्चित हो सके।

- 7.7 NCTE पाठ्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में प्रथम वरीयता के आधार पर आवेदकों को सीट आवंटित होने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लेने या प्रवेश लेकर निरस्त कराने की स्थिति में ऐसे आवेदकों को घोषित समय सारणी अनुसार आगामी चरणों की प्रवेश प्रक्रिया में च्वाइस फिलिंग के अवसर से पृथक किया जाएगा।
- 7.8 पुनः वरीयता व्यक्त करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- 7.9 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है, समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन / दस्तावेज अपलोड / महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी. चरण/ की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 7.10 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों को सी.एल.सी. चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी।
- 7.11 सी.एल.सी. में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची जारी कर नियमानुसार सम्पन्न की जाएगी।

8. प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया एवं शुल्क वापसी प्रक्रिया

- 8.1 ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2025-26 से प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।
- 8.2 आवेदक द्वारा निरस्तीकरण आवेदन सबमिट करने पर उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. दर्ज करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। जिसकी पावती आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी।
- 8.3 शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के मध्य प्रवेश लेकर ऑनलाइन प्रवेश निरस्त होने पर महाविद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल से स्वतः सूचित होगा।
- 8.4 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निरस्तीकरण कराने पर आवेदक को अपना खाता कमांक एवं आईएफएससी कोड भी दर्ज करना होगा जिसमें की प्रवेश शुल्क की राशि वापस की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 60 दिवस के अंदर प्रवेश निरस्त कराने पर सम्पूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 8.5 चरणवार शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात प्रवेश निरस्तीकरण कराने पर प्रवेश शुल्क सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा वापस किया जायेगा।
- 8.6 "रुक जाना नहीं" अंतर्गत प्रवेश ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रुक जाना नहीं योजना अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान / दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई सत्यापन पश्चात् ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक

स्वाध्यायी (प्राइवेट) विद्यार्थी के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

9. शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश

शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश कंडिका 23.1 (अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा दर्ज करनी होगी। (उक्त कंडिका NCTE पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगी।)

10. पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश-

- 10.1. ऑनलाइन चरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जावेगा।
- 10.2. प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अपना पंजीयन / दस्तावेज अपलोड / महाविद्यालय पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करवा लिया है।
- 10.3. पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अवसर प्राप्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश लेना होगा। स्थान रिक्त होने पर आगामी सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।
नोट:- इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाइन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी।
- 10.4. प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरान्त निर्धारित समय सारणी अनुसार उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की जानकारी अद्यतन कराना होगा। जिससे आवेदक का प्रवेश निरंतर/निरस्त किया जा सके। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा 100% प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापस की जाएगी।

11. म.प्र. शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं :-

मध्यप्रदेश शासन की हितग्राही योजनाओं की समस्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हाईपरलिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

11.1 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866/342/सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017-18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है।

इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है।

11.1.1 पात्रता की शर्तें :-

- i. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- ii. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम हो।
- iii. विद्यार्थी ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।

11.1.2 योजना का स्वरूप

यह योजना स्नातक स्तर में प्रवेश प्राप्त करने हेतु लागू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पात्रता संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने पर विद्यार्थी को इस योजनान्तर्गत संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मैस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा। (म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्र क्र. एफ 5-6/2017/42 (1) भोपाल दिनांक 05.06.2018)

- 11.1.3 स्पष्टीकरण प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

11.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJICY)

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म०प्र० शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 दिनांक 21 अगस्त 2018 के तहत प्रवेश दिया जायेगा। इस हेतु समय समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।

11.2.1 पात्रता की शर्तें :-

- i. यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जायेगी।
- ii. विद्यार्थी के माता पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

11.2.2 योजना का स्वरूप

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 525/484/आउशि/शा-5अ/2018 भोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष) एवं

स्नातकोत्तर (प्रथम/द्वितीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश (लेकिन मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) दिया जायेगा।

11.2.3 स्पष्टीकरण: स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल मेस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेशशुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

11.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेधावी / जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने से पूर्व, विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितग्राही योजनाओं का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क भुगतान के समय इन योजनाओं का चयन करें।

11.3 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, बल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2, भोपाल, दिनांक 21.06.2021 के अनुसार।

11.3.1 योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1) -

इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा निर्विघ्न रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।

11.3.2 परिभाषा (परिशिष्ट 3)-

परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है, (परिशिष्ट 3.1)

बाल हितग्राही से अभिप्राय ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो (परिशिष्ट-3.2) और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.1) या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.2) या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। (परिशिष्ट-3.2.3)

"कोविड-19 से मृत्यु" का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक अवधि में हुई।

11.3.3 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि (परिशिष्ट 4) -

प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।

11.3.4 बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता/अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु होने से, वे अनाथ हो गये हैं, को उच्च शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होगी (परिशिष्ट 6.3.2) -

(अ) शासकीय अथवा केंद्र/राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में हितग्राहियों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा।

साथ ही कॉशनमनी जमा कराने से छूट रहेगी। बाल हितग्राहियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संस्था को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- (य) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है, उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कंडिका - अ अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या रूपये 15,000 जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार लिंकड बैंक खाते में की जावेगी।

11.3.5 इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है, उन्हें भी योजना लागू वर्ष से लाभ प्रदान किया जा सकेगा। (परिशिष्ट- 5.3.4)

11.3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट-5.3.5)

11.3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाभ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देव लाभ के अतिरिक्त होगा किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। (परिशिष्ट-8)

11.4. लाइली लक्ष्मी योजना:-

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्राओं को स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 समान किशोरों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जावेगी। लाइली लक्ष्मी बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु स्नातक स्तर तक का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य -

- मध्यप्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना
- आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
- समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना।

पात्रता की शर्त :-

- एक जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
- माता-पिता आयकर दाता न हों।
- माता-पिता जिनकी 02 या 02 से कम संतान हों, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।

विशेष : उपरोक्त पात्रता शर्तों के अतिरिक्त पात्रता हेतु लाइली लक्ष्मी योजना 2.0 में उल्लेखित विशेष प्रकरण संबंधी प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

योजना का लाभ :

- i. लाइली बालिकाओं को कक्षा 12 वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम 02 वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपए 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 समान किशतों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जावेगी।
 - ii. लाइली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
- 12 वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु) :-

- 12.1 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रायमरी / मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए केवल शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 244.2782015420.2ए दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेगी। इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उल्लेखित पाठ्यक्रमों/ विषयों में महाविद्यालय में सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे।
- 12.2 वन-स्टेप-अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन / दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, आवेदकों को प्रवेश समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
(NCTE पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं)

13. संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया:-

- 13.1 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा तथा सी. एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- 13.2 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से संपन्न करना होगा। सभी संस्कृत महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति, निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाईल अद्यतन कर मैपिंग महाविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

14. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान :-

सत्र 2025-26 से शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि संसाधनों में कमी/कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

- 14.1 सत्र 2024-25 के स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में है तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 में प्रवेश दिया जायेगा, अर्थात् 24 या 24 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 14.2 सत्र 2024-25 के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में है तभी उक्त विषय में सत्र 2025-26 में प्रवेश दिया जायेगा, अर्थात् 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 14.3 सत्र 2025-26 के सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।
15. प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता :-
- 15.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- 15.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष / आठवां सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, प्रथम से चतुर्थ / पंचम सेमेस्टर तक के प्राप्तांको का प्रतिशत (4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की स्थिति में क्रमशः तृतीय वर्ष अथवा छठवां / सातवां सेमेस्टर) ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रावधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
- 15.3 महाविद्यालय, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली गई है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक/ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 15.4 प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिम्मेदारी पर प्रवेश लेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष / षष्ठम सेमेस्टर (4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की स्थिति में क्रमशः चतुर्थ वर्ष / आठवां सेमेस्टर) के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रावधिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाएगा।
- 15.5 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रता के अनुसार क्रमशः स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
16. प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम पोषित होने के 15 दिनों की समय सीमा में ऑनलाइन विभागीय पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा।

16.1 स्नातक (चतुर्थ वर्ष) के संबंध में दो विकल्प होंगे

- (i) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स (सभी तृतीय वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थी)
- (ii) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स विथ रिसर्च (केवल 7.5 सी.जी.पी.ए. से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे)
- (iii) विद्यार्थी केवल मेजर विषय में ही प्रवेश ले सकेंगे।
- (iv) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च में प्रवेश अध्ययनरत महाविद्यालय में ही लिया जा सकेगा।
- (v) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च का विकल्प महाविद्यालय में न मिलने की दशा में जिला अंतर्गत निकट के अन्य महाविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे।
- (vi) विद्यार्थी को संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विकल्प चयन करना होगा।
- (vii) महाविद्यालयों द्वारा सत्यापन उपरांत प्रवेश शुल्क हेतु लिंक एनिसियेट की जायेगी।
- (ix) लिंक एनिसियेट होने पर विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करेंगे।
- (x) स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जायेगा।

16.2 पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे :-

स्नातक स्तर हेतु पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। शेष वर्षों में (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष) / शेष सेमेस्टर्स में (तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन ही होगी।

16.2.1 वार्षिक प्रणाली में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष उत्तीर्ण / एक विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

16.2.2 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण / किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

16.2.3 सत्र 2025-26 से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर आर्डिनेंस 14 (1) के प्रावधान लागू होंगे (आर्डिनेंस संलग्न है) तथा पूर्व वर्षों में प्रवेशित विद्यार्थियों पर पूर्वानुसार आर्डिनेंस (14 ए) व आर्डिनेंस (14 बी) लागू होंगे (आर्डिनेंस संलग्न है)।

- 16.2.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 से प्रवेशित विद्यार्थियों पर अध्यादेश 14(2) लागू होगा।
- 16.3 स्नातकोत्तर स्तर हेतु पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी। तृतीय सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण/ किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 16.4 नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश नियमानुसार संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रमोट किया जाएगा। स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी पात्रतानुसार सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क / 10 रूपए का ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की आधी राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।
- 16.5 सत्र 2021-22 से लागू मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना (कण्डिका 11.3) के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश / नवीनीकरण निःशुल्क किया जाना है।
- 16.6 शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश।
कंडिका 23.1 (अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आब्रजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिये आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 16.7 स्वाध्यायी (प्राइवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/36, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वे विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स / विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में तथा तृतीय/पंचम/सप्तम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
- 16.7.1 राज्य शासन के आदेश क्र. 1615/1929/2018/36-2, दिनांक 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित / असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह सत्र 2025-26 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2024-25 की स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण

करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2025-26 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

- 16.8 पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश जिन विद्यार्थियों को पूर्व छात्र की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर / वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा।
- 16.9 पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने की दशा में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से स्थान (सीट) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
- 16.10 महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया:-
महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

17. स्नातक कक्षाओं में ए.टी. के. टी/पूरक से संबंधित प्रवेश नियम

पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे :-

- 17.1. सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी। वार्षिक पद्धति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् सत्र के दौरान एक विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।
- 17.2. वार्षिक पद्धति में एक विषय में अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
- 17.3. सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी. के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 17.4. स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।
- 17.5. विशेष परीक्षार्थी कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1204/387/आठशि/शा-5अ/2012 भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2012 के अनुसार जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद / कला-संस्कृति (युवा उत्सव)/ एन.सी.सी./एन.एस.एस./ स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी के क्षेत्र में यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान किसी प्रतियोगिता आदि में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य के प्रमाणित करने पर उन विद्यार्थियों की परीक्षाएं उसी सत्र में परीक्षा समाप्ति के 10 दिवस में संबंधित विश्वविद्यालय

द्वारा समय सारणी जारी कर, आयोजित की जायेगी और उनके परीक्षा परिणाम अन्य परीक्षाओं के साथ ही जारी किये जाएंगे।

18. स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी. के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम:-

- 18.1 सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।
- 18.2 दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी. के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- 18.3 विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 18.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

19. प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण:-

- 19.1 समस्त शासकीय महाविद्यालयों में सीट संख्या का निर्धारण उपलब्ध अधोसंरचना तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य, जनभागीदारी समिति से सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 19.2 शासकीय महाविद्यालयों में कक्षा / विषयवार सीट संख्या का निर्धारण संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के मध्य सीट वृद्धि की अनुमति नहीं होगी।
- 19.3 अनुदान प्राप्त अशासकीय/ निजी अशासकीय महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीट संख्या अनुसार प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- 19.4 इस सम्बंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 19.5 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्धारित तिथियों में समस्त महाविद्यालय संस्था में संचालित स्नातक / स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, विषय समूह निर्धारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी के साथ महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन विभागीय पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करेंगे।
- 19.6 महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रास चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।

- 19.7 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत नवीन सत्र में सीट संख्या का निर्धारण करते समय शासकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को राउण्डअप करते हुए सीट संख्या निर्धारित की जाएगी।
20. **समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम**
- 20.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.) / इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।
- 20.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे बोर्ड ऑनलाईन विभागीय पोर्टल पर मान्य सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पंजीयन कर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 20.3 विदेशी बोर्ड से अर्हकारी: 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक ने यदि मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवेदक को केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पात्रता अनुसार ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।
- 20.4 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।
- 20.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा / उपाधि मान्य नहीं होंगी।
- 20.6 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता

प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

20.7 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

21. सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश की पात्रता:-

(सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए लागू, NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़कर)

21.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

- (अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ब) उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (द) जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विस्थापितों एवं उनके पाल्य / पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे
 1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
 2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो। (विधि पाठ्यक्रमों को छोड़कर)
 3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
 4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
 5. द्वितीय और आगे वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।
 6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।
- (य) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

22. विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :-

- 22.1 किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

- 22.2 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। रैगिंग के संदर्भ में यूजी. सी. के ज्ञापन क्र. एफ-1-16/2007 (सी.पी.पी.॥) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी लागू रहेगी।
- 22.3 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह-शिक्षा महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 22.4 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

23. बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :-

- 23.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी. कॉम./बी.एससी./बी.एस.सी. (गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 23.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष अथवा द्वितीय / चतुर्थ/षष्ठम सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय / विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 23.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
- 23.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- 23.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

- 23.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

24. आरक्षण (NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़कर) :-

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा-

- 24.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।
- 24.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
- 24.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13581-227-इक्रीस-अ (प्रा) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)
- 24.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों / सेन्द्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा -
1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
 2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
 3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
 4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
 5. परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मंडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मंडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मंडल, सेना/नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लिखित मेडल से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, ।
 6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मंडल।

7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

- 24.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 24.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एफ, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.-5/अ/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा। पंजीयन के समय ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 24.7 एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 01 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
- 24.8 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 24.9 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।
- 24.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।
- 24.11 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश
अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पंजीयन, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पोर्टल पर पृथक से उपलब्ध लिंक के माध्यम से संचालित होगी।
सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपनी संस्था को रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।
अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवंटन की प्रक्रिया 01:01 (अल्पसंख्यक श्रेणी: गैर अल्पसंख्यक श्रेणी) के अनुपात में की जावेगी।

24.12 केंडिका 6.4 अनुसार सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के (आवेदक उपलब्ध न होने पर) रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।

24.13 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

24.14 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेगी।

24.(B) आरक्षण (NCTE पाठ्यक्रमों हेतु) :-

संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजन

(क) मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय), बी.एड. एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) ITEP एवं बीएलएड (एकीकृत चार वर्षीय) तथा बी.एड.. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) आदि।
पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्थानों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की डब्ल्यूपी. 5436/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.08. 2016 के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जायेगी। अल्पसंख्यक संस्थाओं में ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों तथा 50 प्रतिशत गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को क्रमशः 01:01 के अनुपात में प्रवेश दिया जायेगा, द्वितीय चरण के उपरांत यदि संस्था में कुल स्वीकृत सीट संख्या में 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक आवेदकों से पूर्ति नहीं होती है तो, तृतीय चरण को ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सीटें रिक्त बचने पर शेष रिक्त सीटों की पूर्ति गुणानुक्रम के आधार पर की जायेगी।

(ग) महिला महाविद्यालयों में पुरुष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। ऐसे महाविद्यालय पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन जारी मान्यता एवं सम्बद्धता प्राप्त सूची में उनके नाम के समक्ष महिला महाविद्यालय दर्ज है।

(घ) . मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा:

संक्र०	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत

2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमी लेयर छोड़कर)	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत

नोट:

मध्यप्रदेश के राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इक्कीस अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में संशोधन किया गया। रिट याचिका क्रमांक 5901/2019 द्वारा सुश्री आशिता दुबै विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 19.03.2019 को पारित आदेश के परिपेक्ष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत की सीमा को 14 प्रतिशत ही रखा गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार इसे परिवर्तित किया जा सकेगा।

व- मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गों का आरक्षण निम्नानुसार होगा:

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र / पौत्रियों/नातियों/गालिनो के लिए 03 प्रतिशत।
3. दिव्यांग प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।

- I. महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) है। कुल स्थानों की 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
- II. सैनिक संवर्ग (एस) कुल स्थानों के तीन प्रतिशत सीटें क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी। सैनिक वर्ग में रखत कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे रक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/नाता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

प्रदेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्णय अंतिम होगा।

III. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (F.F.) -

कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के उन पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/ नातिनों को भी प्रवेश की पात्रता होगी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त भी पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले या कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही किसी उम्मीदवार के इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

IV. निःशक्तजन (विकलांग) कुल स्थानों का पांच प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) निःशक्तजनों (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगा। इस संवर्ग में शासन के नियमानुसार आरक्षण हेतु दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थिबाधित आवेदकों को पात्रता होगी। इस संवर्ग के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

V. विधवा/ परित्यक्ता: इस संवर्ग का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसा वैधानिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्याशी विधवा / परित्यक्ता महिला है। कुल 30 प्रतिशत महिला स्थानों के लिये आरक्षित स्थानों के अंतर्गत एक प्रतिशत स्थान विधवा/परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित है।

VI. यदि आवेदक भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित किया गया है तो इस संवर्ग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

VII. संबंधित बाहरी राज्य के अधिसूचित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। बाह्य राज्य के आवेदकों के आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार होने पर ही मान्य होंगे। (संलग्न प्रमाण पत्र प्रारूप 7 एवं 8)

VIII. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही संबंधित वर्ग / संवर्ग का लाभ देय होगा।

- IX. तृतीय चरण में बाह्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों को वरीयता एवं गुणानुक्रम के आधार पर स्थान आवंटित किया जाएगा।
- X. तृतीय चरण में बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों की भी संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर म०प्र० राज्य के आवेदकों को स्थान आवंटित किया जाएगा।
- XI. अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएंगे तो ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जायेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आरक्षित आवेदकों की वरीयताएँ नहीं होने पर तृतीय चरण में रिक्त रह गये स्थानों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्थान आवंटन किया जाएगा।

25. अधिभार :-

अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :-

- (अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2021-22 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2022-23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (स) अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रदेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।
- खेलकूद विधा में महाविद्यालय में कुल सीट संख्या के अतिरिक्त 5 सीट खेलकूद में 'ए' श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के लिए आउटराइट के आधार पर सुरक्षित होंगी। (24 मई 2022 के आदेशानुसार)
- कला-संस्कृति (युवा उत्सव) / एन.सी.सी. एन.एस.एस. स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी में शामिल 'ए' श्रेणी प्राप्त आवेदकों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में कुल सीट के अतिरिक्त 5-5 सीट आउटराइट के आधार पर आवंटित करने के लिए सुरक्षित होंगी।
- राज्य/संभाग/जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आवेदकों के लिए बी, सी और डी में अधिभार के आधार पर, गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- आउटराइट के आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्वतः सीटों में वृद्धि की जायेगी।

25.1 खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए श्रेणी। विशेष प्रोत्साहन आउटराइट (Outright)

1. ओलंपिक खेल/वर्ल्डकप चैम्पियनशिप/वर्ल्डकप / कॉमनवेल्थ गेम्स/एशियन गेम्स/एशियन चैम्पियनशिप / साउथ एशियन गेम्स/पैरालंपिक गेम्स/अंतर्राष्ट्रीय यूथ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2. एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जूनियर प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेल/फेडरेशन कप/सीनियर नेशनल इंटर जोनल नेशनल/नेशनल स्कूल गेम्स/अंडर 17/19/खेलो इंडिया स्कूल/यूथ गेम्स अंडर 17/21/यूथ/ जूनियर नेशनल सब जूनियर / जोनल नेशनल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त / प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को।	

श्रेणी -B (प्रतिशत अधिभार)

स्टेट प्रतियोगिता /इंटर जोनल एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघद्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय/अन्तरसंभाग/अन्तरजिला/सीबीएससी/केवीएस/आईपी एससी/डीएवी/एनवीएस/ विद्या भारती प्रतियोगिता के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	15 प्रतिशत अधिभार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	10 प्रतिशत अधिभार

श्रेणी -C (प्रतिशत अधिभार)

लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला / संभाग स्तर जिले की प्रतियोगिता सीबीएससी पलस्टर/केवीएस/एनवीएस, डी.ए.व्ही/विद्या भारती/सुब्रतो कप/स्कूल स्पोर्ट्स (जिला, स्पोर्ट्स एसोसिएशन/जिला/डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन / जिला स्कूल बोर्ड से प्रमाणित के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	10 प्रतिशत अधिभार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	05 प्रतिशत अधिभार

25.2 कला - संस्कृति (युवा उत्सव आदि) की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए श्रेणी। विशेष प्रोत्साहन आउटराइट (Outright)

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां - प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर राष्ट्रीय यया उत्सव में सहभागिता पर	<u>गतिविधियां-</u> • नृत्य (भारतीय शास्त्रीय/लोक) गायन (हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य • शास्त्रीय/सुगम/लोक/पाश्चात्य सुगम) क्विज • रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी/एनीमेशन / फिल्म मेकिंग) • संगीत वादन (हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य) • फाइन आर्ट्स (स्केचिंग / पेंटिंग/स्कल्पचर) • थियेटर • वादविवाद (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • विज्ञान संबंधी गतिविधियां	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
--	--	---

श्रेणी - B, C एवं D (प्रतिशत अधिभार)

(नृत्य भारतीय शास्त्रीय / लोक, गायन हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य शास्त्रीय / सुगम लोक पाश्चात्य सुगम) विवज रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी/एनीमेशन/ फिल्म मेकिंग) संगीत वादन (हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य) फाइन आर्ट्स (स्केचिंग / पेंटिंग / स्कल्पचर) ललितकला थियेटर	राज्य स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर	15 प्रतिशत अधिभार
	संभाग स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	10 प्रतिशत अधिभार
	जिला स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी	05 प्रतिशत अधिभार

डिबेट (वादविवाद हिन्दी एवं अंग्रेजी)	परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	
--------------------------------------	---------------------------------------	--

25.3 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स) एवं रेडक्रास सोसायटी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों हेतु -

श्रेणी I विशेष प्रोत्साहन आउटराइट (Outright)

1	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कॉन्टिनजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2	राष्ट्रपति स्काउट	
3	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	
4	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	
5	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	
6	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	

श्रेणी B- (प्रतिशत अधिभार)

1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	10 प्रतिशत
2	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	
3	राज्यपाल स्काउट	

श्रेणी C- (प्रतिशत अधिभार)

1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	7 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	

श्रेणी ब- (प्रतिशत अधिभार)

1	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	5 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	

25.4

ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
---	------------

25.5

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक/साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
--	---------------

25.6

जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को	1 प्रतिशत
---	--------------

25.7

स्थानीय विद्यार्थियों को प्रदेश में प्राथमिकता (स्थानीयता का निर्धारण प्रवेश के लिए	5 प्रतिशत
---	--------------

25.7 निर्धारित न्यूनतम संबंधित शैक्षणिक योग्यता निकट के स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण होने के आधार पर दी जाएगी।)

स्पष्टीकरण - कंडिका 25 के प्रावधान NCTE पाठ्यक्रमों के प्रवेश पर लागू नहीं होंगे। NCTE पाठ्यक्रमों में अधिभार NCTE के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

26. प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :-

26.1 प्रवेश पश्चात् प्राचार्य के अधिकार :-

26.1.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

26.1.2 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने ये सारी पूर्तियों पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।

26.1.3 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरांत ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।

26.1.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 24.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

26.2 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :-

शुल्क वापसी की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका के विन्दु क्रमांक 07 एवं कण्डिका 7.1 का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

26.2.1 प्रावधिक प्रवेश पश्चात् अनुत्तीर्ण घोषित होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रुपये 100/- काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कांशन मनी सहित) वापस किया जाएगा।

26.2.2 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कांशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

26.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी।

रिमार्क :- यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

26.3 हितग्राही योजना परिवर्तन :-

26.3.1 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना / मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना / लाडली लक्ष्मी योजना / मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।

26.3.2 इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन मॉड्यूल में भी दर्ज करनी होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे।

26.4 विषय / पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन:-

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय / कक्षा/ विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय / पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल पर निर्धारित समय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। सामान्य / परम्परागत पाठ्यक्रमों से विवि पाठ्यक्रमों में स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं होगी।

प्रवेशित विद्यार्थी हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण प्रक्रिया:-

सत्र 2025-26 में स्नातक/ स्नातकोत्तर पर प्रवेशित विद्यार्थी यदि अपना महाविद्यालय परिवर्तन (स्थानांतरण) करना चाहते हैं ऐसे स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी पर्याप्त कारण सहित लिखित आवेदन प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति के साथ जिस महाविद्यालय में प्रवेश स्थानांतरित किया

जाना है को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य की सहमति के आधार पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानान्तरण किया जा सकेगा। विद्यार्थी के स्थानान्तरण आवेदन पर दोनो महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति आवश्यक होगी एक दिवस में एक ही पाठ्यक्रम में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त स्थान अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जा सकेंगे। प्रवेश स्थानान्तरण की दशा में पूर्व महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से लिया गया सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क 03 दिवस की समयावधि में स्थानान्तरित महाविद्यालय को अंतरित करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी के पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्यों को पर्याप्त कारण होने पर ही अन्य महाविद्यालय में जाने के लिए सहमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

विशेष टीप: आवेदक का स्थानान्तरण केवल उन्हीं महाविद्यालयों में संभव होगा जहां पूर्व महाविद्यालय में चयनित विषय संचालित हो रहे होंगे एवं रिक्त सीट संख्या के साथ नवीन स्थानान्तरित होने वाले महाविद्यालय की मेरिट सूची अन्तर्गत पात्रता बनती हो।

- 26.6 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा न करते हुए संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को शुल्क जमा होने के तीन दिवस की अवधि में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा की अकादमिक शाखा को सूचित कर निराकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा।
- 26.7 **प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन प्रक्रिया :-**
- (अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात प्रवेशित विद्यार्थी को 30 दिवस की समय सीमा में मूल दस्तावेजों को किसी भी शासकीय महाविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करना होगा। शासकीय महाविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।
- (ब) अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं निजी अशासकीय महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाइन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 30 दिवस की समय-सीमा में आवेदक के मूल दस्तावेजों को किसी भी शासकीय महाविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे। शासकीय महाविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।
- 26.8 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अतः सत्र 2025-26 के समस्त स्नातक/ स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश / प्रवेश नवीनीकरण हेतु कंडिका 5.1.7 के अनुसार पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित की जाएगी।

- 26.9 प्रवेश निरस्तीकरण उपरान्त विद्यार्थी को दिये गये स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र का ऑनलाइन मॉड्यूल में प्रविष्टि करने संबंधी एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।
- 26.10 अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त होने पर नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रावधान / व्यवस्था- ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
- 26.11 NCTE पाठ्यक्रमों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी 276/12 में पारित निर्णय अनुसार निर्धारित तिथियों तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता एवं संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
- 26.12 एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी रेगुलेशन के किसी प्रावधान को यदि परिवर्तित किया जाता है तो तदनुसार उसे मार्गदर्शी सिद्धान्त में समावेश करते हुए संशोधित किया जाएगा।
- 26.13 एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को योजनाओं / छात्रवृत्ति आदि की पात्रता मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार होगी।
- 26.14 मार्गदर्शिका में उल्लेखित समस्त कंडिका एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगी। विद्यार्थियों को आरक्षण, अधिभार, प्रवेश की पात्रता, आदि एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार लागू होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र के संस्थानों में पूर्वानुसार नियम लागू होंगे।
- 26.15 इन प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। आयुक्त, उच्च शिक्षा को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शी सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / स्पष्टीकरण जारी करने / समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने / प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने / प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदत्त किया जाता है। विशिष्ट एवं सैद्धांतिक प्रकरण में अंतिम निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
 पुस्तक क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....
 प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति के नाम संविधान अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम :

टिप्पणी :

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-2

मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों के लिए प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम के नाम निवासी है जो..... जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पञ्जीस/4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 02 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमन्य किया गया है जो कि सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला संभाग..... में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... (पिता का नाम) क्रीमीलियर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.2003 द्वारा जारी सूची के कॉलम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-28/2009/आ.प्र., -1 दिनांक-2 जुलाई, 2013 की कंडिका क्रमांक के कॉलम 3 (क) के अनुसार।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-3 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

वर्तमान एवं भूतपूर्व सैनिक/ मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

जो कि के

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....जो कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम)के पिता/माता है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित(पाठ्यक्रम का नाम)(प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना / वायुसेना / नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्षमें हो चुकी है।

स्थान
दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के
हस्ताक्षर

.....
(कार्यालय सील)

प्रारूप-3 (ब)

मध्यप्रदेश में / मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) पिता/माता है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित नाम) (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है। जो कि के (पाठ्यक्रम का (अ) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना / वायुसेना / नौसेना में चुकी है। पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान.....

दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के
हस्ताक्षर.....
(कार्यालय सील)

प्रारूप-3 (स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. (आवेदक का नाम)..... जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित(पाठ्यक्रम का नाम) प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्षके आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है तथा श्री/श्रीमती /..... आवेदक के पिता/पति/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी रूप से..... (स्थान) तहसील..... जिला..... में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान.....
दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हस्ताक्षर
कार्यालय सील

प्रारूप-4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती..... (आवेदक का नाम) श्री/श्रीमती
.....(आवेदक के पिता/माता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।
जो श्री/श्रीमती..... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की वैध
(Legitimate) पुत्र/पुत्री है।
- (2) श्री/श्रीमती(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के
जिला..... (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी
(.....) में क्रमांक..... पर पंजीकृत है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

कलेक्टर

(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

प्रारूप-5

स्व प्रमाणित आय का घोषणा पत्र
(सादे कागज़ पर)

फोटो
स्व प्रमाणित

मैं.....आत्मज श्री.....आयु.....वर्ष

घोषणा करता/करती हूँ कि-

1. मैं वर्तमान में..... में निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राम..... में हेक्टेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपये..... शब्दों में..... की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में..... है।
4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में..... है।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं-
1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
(परिवार से आश्रय पति/पत्नी/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता वा पिता से है।)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में..... है।
7. मैंने इस घोषणा पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है/ घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
अथवा
8. मैंने इस घोषणा पत्र के पूर्व लगभग..... समय पूर्व एक आय प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र राशि रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि वार्षिक का आय घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो, उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....आत्मज /पति श्री.....आयु.....वर्ष
 निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा पत्र की कंडिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं
 विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे
 यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक / दंडात्मक कार्यवाही की जा
 सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जावेंगे।
 सत्यापन आज दिनांक..... वर्षको स्थानमें किया
 गया।

हस्ताक्षर

प्रारूप-6

बाह्य राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(All SC/ST Candidates are required to submit their Caste Certificate in the prescribed format only)

This is to certify that Shri/Shrimathi*/Kumari _____
 Son/daughter of _____
 of village/town* _____
 In District/Division of the State/Union _____ Of the State/Union
 Territory _____ belongs to the _____ Caste/ Tribe*which is recognized as a Scheduled Caste Scheduled Tribe*
 Under:

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

(As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1955, the Bombay Reorganization Act, 1960, the
 Punjab Reorganization Act, 1956, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the
 Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders(Amendment) Act, 1976.)

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;

*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled
 Tribes Orders (Amendment) Act, 1976;

*The constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962;

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964;

*The Constitution (Uttar Pradesh, Scheduled Tribes Order, 1967;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 ;]

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; * The Constitution
 (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978; *The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989. *The Constitution
 (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act, 1991. *The Constitution
 (Scheduled Tribes) Order Second Amendment Act, 1991.

**This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes

Certificate Issued to Shri/Shrimathi _____ (father/mother of Shri/Shrimathi/Kumari) _____ of In District/Division*
 _____ of the State/Union Territory* _____

who belong to the Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union
 Territory _____ issued by the _____ dated _____

Shri/Shrimathi*/Kumari* _____ and _____ or* his/her*family ordinarily reside(s) in
 village/town* _____ of District/Division of the State/Union Territory
 of _____

Signature_____

Designation_____

(With seal of office) State/Union Territory

Places_____

dated_____

Note: The term "Ordinarily resides used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

Please delete the words which are not applicable.

**Applicable in the case of SC, STs Persons who has migrated from one State/UT (Employment News 9/92)*

प्रारूप-7

बाह्य राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलयर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र
(CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCI) APPLYING FOR ADMISSION)

This is to certify that Shri/Smt./Kum._____ Son/Daughter of Shri/Smt._____ of Village/Town

District / Division_____ in the _____ State belongs to the _____ Community
 which is recognized as a backward class under:

1. Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93.
2. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 163 dated 20/10/94.
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 88 dated 25/05/95.
4. Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
5. Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 210 dated 11/12/96.
6. Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
7. Resolution No. 12011/98/94-BCC dated 11/12/97.
8. Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
9. Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
10. Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section No. 71 dated 04/04/2000.
11. Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 210 dated 21/09/2000.
12. Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 05/09/2001.
13. Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
14. Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
15. Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.

Shri/Smt./Kum._____ and/or his family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of _____ State. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 09/03/2004 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

Seal

District Magistrate/Competent Authority

NOTE:

(a) The term "Ordinary" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to Issue Caste Certificates are indicated below:

1. District Magistrate / Additional Magistrate / Collector/Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate/Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)
2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

(c) The annual income/status of the parents of the applicant should be based on financial year ending March 31, 2014

- समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश (समस्त अग्रणी महाविद्यालय, म.प्र. सहित) सामान्य पाठ्यक्रमों के सत्यापन हेतु सहायता केन्द्रों (हेल्प सेंटर्स) होंगे।
- समस्त अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. के सत्यापन हेतु सहायता केन्द्रों (हेल्प सेंटर्स) होंगे।

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी

स्नातक स्तर (UG) प्रथम चरण सत्र 2025-26

क्रमांक	कार्य का विवरण	स्नातक स्तर (UG) दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन / आवेदन	15-05-25 से 30-05-25 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	16-05-25 से 31-05-25 तक
3	प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना	05-06-25 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	05-06-25 से 12-06-25 तक



मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी
स्नातक स्तर (UG) द्वितीय चरण सत्र 2025-26

क्रमांक	कार्य का विवरण	स्नातक स्तर (UG) दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन /आवेदन	07-06-25 से 13-06-25 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	08-06-25 से 14-06-25 तक
3	सीट आवंटन जारी करना	19-06-25 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	19-06-25 से 24-06-25 तक

du

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी

स्नातक स्तर (UG) तृतीय चरण (सीएलसी) सत्र 2025-26

क्रमांक	कार्य का विवरण	स्नातक स्तर (UG) दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन /आवेदन	20-06-25 से 25-06-25 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	21-06-25 से 26-06-25 तक
3	सीट आवंटन जारी करना	30-06-25 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	30-06-25 से 04-07-25 तक

ohr

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी

स्नातकोत्तर स्तर (PG) प्रथम चरण सत्र 2025-26

क्रमांक	कार्य का विवरण	स्नातक स्तर (UG) दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन /आवेदन	15-05-25 से 30-05-25 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	16-05-25 से 31-05-25 तक
3	प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना	05-06-25 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	05-06-25 से 12-06-25 तक

du

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी
स्नातकोत्तर स्तर (PG) द्वितीय चरण
सत्र 2025-26

क्रमांक	कार्य का विवरण	स्नातक स्तर (UG) दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन /आवेदन	07-06-25 से 13-06-25 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	08-06-25 से 14-06-25 तक
3	प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना	19-06-25 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	19-06-25 से 24-06-25 तक

मे

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी

स्नातकोत्तर स्तर (PG) तृतीय चरण (सीएलसी) सत्र 2025-26

क्रमांक	कार्य का विवरण	स्नातक स्तर (UG) दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन /आवेदन	20-06-2025 से 25-06-25 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	21-06-2025 से 26-06-2025 तक
3	प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना	30-06-2025 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	30-06-25 से 04-07-25 तक

dh

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय), ITEP एवं
बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित
बी.एड. पाठ्यक्रम 2025- 26 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी

प्रथम चरण

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन /आवेदन	15-05-2025 से 30-05-2025 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	16-05-2025 से 31-05-2025 तक
	मेरिट सूची का प्रकाशन एवम प्रथम चरण में सीट आवंटन	01-06-2025
3	प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना	05-06-2025 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित हेल्पसेंटर पर मूल दस्तावेजों, टी.सी. माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इनिशिएट कराना।	05-06-2025 से 11-06-2025 तक
5	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	05-06-2025 से 12-06-2025 तक

om

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय), ITEP एवं बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम 2025- 26 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी

द्वितीय चरण

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन /आवेदन	07-06-2025 से 13-06-2025 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	08-06-2025 से 14-06-2025 तक
	मेरिट सूची का प्रकाशन एवम प्रथम चरण में सीट आवंटन	15-06-2025
3	प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना	19-06-2025 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित हेल्पसेंटर पर मूल दस्तावेजों, टी.सी. माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इनिशिएट कराना ।	19-06-2025 से 23-06-2025 तक
5	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	19-06-2025 से 24-06-2025 तक



मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एमपी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय), ITEP एवं बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम 2025-26 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी

तृतीय चरण

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन / आवेदन	20-06-2025 से 25-06-2025 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	21-06-2025 से 26-06-2025 तक
	मेरिट सूची का प्रकाशन एवम प्रथम चरण में सीट आवंटन	27-06-2025
3	प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना	30-06-2025 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित हेल्पसेंटर पर मूल दस्तावेजों, टी.सी. माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इनिशिएट कराना।	30-06-2025 से 03-07-2025 तक
5	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	30-06-2025 से 04-07-2025 तक

